

न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 154/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बारा

दायरा दिनांक 9.11.2020

किस्म अपील: धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

श्रृवणलाल आत्मज हीरा जाति बोला निवासी अमलावदाखरण तह0 छीपाबडौद जिला बारा।
..... अपीलार्थी

बनाम


राजस्थान सरकार जरिये ना0 तहसीलदार हरनावदा शाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारा।
.....रेस्पोजेन्ट

उपस्थित : श्री अमृत मीणा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्दीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 18.1.2021

- 1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बारा द्वारा प्रकरण संख्या 323/2020 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान श्रृवणलाल बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 3.11.2020 के विरुद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।
- 2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय ना0 तहसीलदार हरनावदा शाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारा ने मिसल संख्या 579/2015 धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत अपीलांट द्वारा सं0 2072 मे ग्राम अमलावदा खरण की सरकारी भूमि किस्म चारागाह ख0 नं0 352/297 रकबा 10 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन बोई जाकर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 12.12.2015 को 60 दिनों की सिविल कारावास की सजा एवं 500/-रूपये तावान से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8.11.2020 से खारिज किया गया।
- 3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर बारा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 3.11.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने आसपास के व्यक्तियों के बयान लेख बद्ध किये बिना व पूर्ण शहादत लिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को दण्डित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना मात्र कयास के आधार पर



संभागीय आयुक्त
कोटा सभाग, कोटा

अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यथावत रखने का जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर से सं० 2072 में ही कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज नहीं करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर बांरा का निर्णय दिनांक 3.11.2020 व परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2015 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

- 4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय ने आसपास के व्यक्तियों के बयान लेख बद्ध किये बिना व पूर्ण शहादत लिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को दण्डित करने में त्रुटि की है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस नहीं दिया तथा ना ही सुनवाई का अवसर दिया। मात्र कयास के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर से सं० 2072 में ही कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।
- 6 रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने मिसल अपीलांट द्वारा सं० 2072 में ग्राम अमलावदाखरण की सरकारी भूमि किस्म चारागाह की ख० नं० 252/297 रकबा 10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 12.12.2015 को 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 500/-रूपये तावान से दण्डित किया गया। परीक्षण न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी किस्म चारागाह की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है अपीलांट बार-बार अतिचारी करने के आदि है जिसकी पुष्टि रिपोर्ट पटवारी हल्का से होती है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रथम अपीलेट अधिकारी ने अपील प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपील को खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जाने योग्य है।
- 7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पों राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सरकारी भूमि किस्म चारागाह है, जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ऐसी भूमियां राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। चारागाह भूमियां सार्वजनिक उपयोग की होती है तथा मवेशियों की चराई के लिये है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है"। अपीलांट द्वारा अपील मिमो में उल्लेखित किया है कि उसने उक्त

वर्णित भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है। इससे अपील का उक्त वर्णित सरकारी चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की स्वतः ही पुष्टि होती जाती है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी सं० 2070 रबी में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय के प्रकरण सं० 1289/2014 निर्णय दिनांक 30.4.2014 से दण्डित किया जाकर मौके से बेदखल किया गया था अपीलार्थी द्वारा पुनः सं० 2072 में 10 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। पत्रावली के अवोकलन से यह भी स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। किन्तु बावजूद तामील के अपीलार्थी वक्त निर्णय परीक्षण न्यायालय ना० तह० हरनावदाशाहजी में अनुपस्थित रहा है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क कि "अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी नहीं किया गया" आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

- 8 परिणामस्वरूप, अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला क्लर्क बांरा द्वारा मिसल संख्या 323/2020 में पारित निर्णय दिनांक 3.11.2020 यथावत रखा जाता है।
- 9 निर्णय आज दिनांक 18.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


 (कैलाश चन्द मीना)
 संभागीय आयुक्त
 कोटा
 कोटा संभाग, कोटा